

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)I-2018/आरई-3/3

आरबीई सं. 171/2019
नई दिल्ली, दिनांक: 14.10.2019

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां एवं आरडीएसओ आदि।
(मानक सूची के अनुसार)।

विषय: दिव्यांग/चिकित्सकीय रूप से अयोग्य रनिंग स्टाफ को संशोधित वेतन संरचना (सातवें केंद्रीय वेतन आयोग) में वैकल्पिक (स्थिर) पदों पर नियुक्त करने पर वेतन निर्धारण।

जैसा कि क्षेत्रीय रेलों को ज्ञात है, वर्तमान में चिकित्सकीय रूप से अयोग्य रेल सेवकों को वैकल्पिक पद पर समाहित करते समय उनका वेतन बोर्ड के दिनांक 30.04.2013 के पत्र सं. ई(एनजी)I-2008/आरई-3/4 में निहित अनुदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इन प्रावधानों में उल्लेख किया गया है कि चिकित्सकीय रूप से अयोग्य रनिंग स्टाफ के वैकल्पिक (स्थिर) पद पर वेतन निर्धारण के उद्देश्य से पे बैंड में वेतन निर्धारित करते समय, मूल वेतन (पे बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन), जो समय-समय पर यथा लागू रनिंग भत्ते के वेतन तत्व को दर्शाता है, के ऐसे प्रतिशत के समान राशि को पे बैंड में मौजूदा वेतन में जोड़ा जाएगा और 10 के अगले गुणक में पूर्णांकित परिणामी राशि (रुपये के अंश, यदि कोई हो, को नज़रअंदाज़ करते हुए) वैकल्पिक पद में पे बैंड में वेतन की राशि होगी तथा उपयुक्त वैकल्पिक पद में मूल पद के ग्रेड वेतन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

2. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की व्यवस्था के अनुसार ऐसी परिस्थितियों में चिकित्सकीय रूप से दिव्यांग/अयोग्य रनिंग स्टाफ के वेतन निर्धारण के उपर्युक्त मामले पर बोर्ड में विचार किया जा रहा है। यह देखा गया है कि 5वें केंद्रीय वेतन आयोग की वेतन व्यवस्था तक वेतनमानों के निर्धारित चरण थे और ऐसे रनिंग स्टाफ के वेतन निर्धारण की पद्धति बोर्ड के दिनांक 29.04.1999 के पत्र सं ई(एनजी)I-96/आरई-3/9(2) के पैरा सं. 1307 और 1308 के अनुसार शासित थी। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में प्रत्येक पे लेवल में विशिष्ट सेल के रूप में निश्चित और निर्धारित वेतन अंतरालों के बहाल होने के बाद यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड के उक्त पत्र में प्रतिपादित वेतन निर्धारण के सिद्धांत इस स्थिति में उचित रहेंगे। इसका अर्थ यह है कि चिकित्सकीय रूप से विकोटिकृत रनिंग स्टाफ के वैकल्पिक स्थिर पद में वेतन निर्धारण के समय यदि परिणामी वेतन (30 प्रतिशत जोड़ने के बाद) उसी वेतन लेवल में किसी भी सेल के तदनुरूप नहीं है तो वेतन को उसी पे लेवल के अगले-निचले सेल में निर्धारित किया जाएगा और वेतन में अंतर को व्यक्तिगत वेतन के रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसे भावी वेतन वृद्धि (वेतन वृद्धियों) में समायोजित किया जाएगा।

3. यह भी नोट किया जाए कि उपरोक्त पैरा-2 के अनुसार वेतन निर्धारण छठे केंद्रीय वेतन आयोग व्यवस्था के चिकित्सकीय रूप से विकोटिकत मामलों में लागू नहीं होगा, जिसे उपरोक्त पैरा 01 में संदर्भित बोर्ड के दिनांक 30.04.2013 के पत्र में कवर किया गया है।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।


(एम.के. मीना)

उपनिदेशक स्थापना (अराजपत्रित)

रेलवे बोर्ड

सं. ई(एनजी)I-2018/आरई-3/3

नई दिल्ली, दिनांक: 14.10.2019

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. सेक्रेटरी जनरल, फोआ, कमरा सं.256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
5. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा सं.268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं.341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
13. सलाहकार (सुरक्षा), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
14. महानिदेशक और पदेन महाप्रबंधक, आरडीएसओ, लखनऊ
15. प्रबंधक/मानव संसाधन विकास प्राधिकरण, रेल भूमि विकास प्राधिकरण, सफदरजंग रेलवे स्टेशन के पास, मोतीबाग-1, नई दिल्ली-110021
16. डीएफसीसीआईएल, 5वां तल, प्रगति मैदान, मेट्रो स्टेशन कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली -110001
17. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, भारतीय रेलवे (कार्यशाला परियोजनाएं), चैंबर भवन, जज कोर्ट रोड, अंता घाट, पटना-800001, बिहार।
18. मुख्य मैकेनिकल इंजीनियर, इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल्स, 12 वीं मंजिल, कोर -1, स्कोप मीनार, जिला केंद्र, लक्ष्मी नगर, दिल्ली -92

19. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 7 (भूतल), रेल भवन, नई दिल्ली।
20. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रेल कोच फैक्ट्री/रायबरेली परियोजना, किशनगंज, दिल्ली-7।
21. सलाहकार (परियोजना), कमरा नं. 548, रेलवे मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली
22. अध्यक्ष, आरबीएसएस ग्रुप 'ए' ऑफिसर एसोसिएशन, कमरा नं 370, रेल भवन, नई, दिल्ली।
23. जनरल सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड गैर-मंत्रालयी कर्मचारी संघ, कमरा नं 42 रेल भवन, नई दिल्ली।
24. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल्स, 12वीं मंजिल-कोर-1, स्कोप मीनार, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली - 110092
25. अध्यक्ष, भारतीय रेलवे प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमआईआर), कमरा नं. 218, रेल भवन, नई दिल्ली।
26. सह-अध्यक्ष, भारतीय रेल प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमआईआर), कमरा नं. 218, रेल भवन, नई दिल्ली
27. अध्यक्ष, विशेषज्ञों के सलाहकार समूह (एजीई), कमरा नं. 218, रेल भवन, नई दिल्ली-110001
28. संयोजक सदस्य, विशेषज्ञ परामर्शदात्री समूह (एजीई), कमरा नं. 218, रेल भवन, नई दिल्ली।



कृते सचिव/रेलवे बोर्ड